मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी:— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 030/2024

1. मुमताज अली पुत्र सजवार खां जाति मुसलमान साकिन जैतपुर हाल आबाद ढांबा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—— वादी

—:बनाम:—

1. अलीशेर पुत्र सजवार खां जाति मुसलमान साकिन जैतपुर हाल आबाद ढांबा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. आशिक अली पुत्र सजवार खां जाति मुसलमान साकिन जैतपुर हाल आबाद ढांबा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. नवाबअली पुत्र सजवार खां जाति मुसलमान साकिन जैतपुर हाल आबाद ढांबा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांकः—

वादी की ओर से श्री इन्द्रजीतपाल सिंह अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाद में वर्णित कृषि भूमि में तहसील पीलीबंगा के चक नं. 11 एल.के.एस.–बी के प. नं. 25/279(29) के किला नं. 11, 12, 13/1, 16 ता 25 की 3.162 हैक्ट. नहरी खातेदारी कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. के काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 22/07/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.23 15:47:29 IST
Reason: SelfAttested